

2757

By Registered Post

From,  
Ramesh Kumar (Malviya),  
Deputy Registrar (M),  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

Request-79

To,  
The District Judge,  
Farrukhabad.

54 No. 2753 /IV-3548/Admin.(A)

Dated: Feb. 20~~16~~, 2017

Subject: Payment of Earned Leave Salary to Sri Ateeq Uddin, Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad for the duration of earned leave availed by him from 23.08.11 till 09.09.11, sufficing 10.09.11 & 11.09.11.

Sir,

with reference to your endorsement No. 2961/IX dated 14.12.2016, on the above subject, I am directed to return herewith original claim amounting Rs.28,268/- of Sri Ateeq Uddin, Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad and to say that said claim is not to be treated time-barred nor does it need to be re-validated through pre-audit sanction as it pertains to pay/salary that has not yet been paid only due to delayed sanction of Earned Leave by Hon'ble High Court otherwise it would have already been paid out as part of monthly salary. In earned leave claims there is no restrictive time-limit in respect of its payment and is purely subject to sanction from concerned authorities. Once applicant's earned leave is sanctioned from Hon'ble High Court, there is no other contributory factor to keep accruing benefits realized from.

I, therefore, request you to kindly take necessary action regarding payment of instant claim of Earned Leave Salary to Sri Ateeq Uddin, Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad at your own end, in the light of relevant rules.

Enclosures:

Original claim amounting Rs.28,268/-, alongwith its encls. of Sri Ateeq Uddin, ACJM, Farrukhabad.

Yours faithfully,  
*[Signature]*  
18/02/17  
Deputy Registrar

55 No. 2754 /IV-3548/Admin.(A)

Dated: Feb. 20~~16~~, 2017

Copy forwarded for information and necessary action to following :

- (1) The Treasury Officer, Farrukhabad.
- (2) Sri Ateeq Uddin, Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad.

*[Signature]*  
18/02/17  
Deputy Registrar

*Dr. (M) →*  
*May kindly see instant approval dt. 17.02.17 of Dy Registrar (B), on below placed office note and issue instant copy?*

*[Signature]*  
18/02/17 (Ro)..  
MS  
18/2/17  
AR

Serial  
23-12-16  
Encl 3

201

Request - 79

पंजीकृत

IV/3548

9-1-17

अतीक उद्दीन  
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी  
फर्रुखाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,  
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

निवन्धक ( बजट अनुभाग)  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

पत्रांक :- 2961 / IX / प्री- आडिट : दिनांक : फतेहगढ : दिसम्बर 14 ,2016

विषय :- मेरे अवकाश वेतन दिनांक 23.08.2011 से 11.09.2011 तक के कालातीत देयक मु. 28268.00 रुपये को प्री-आडिट करने के सम्बन्ध में। महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है मेरे द्वारा दिनांक 23.08.2011 से 09.09.2011 तथा दिनांक 10 से 11.09.2011 सफिक्स करते हुए जनपद न्यायालय इटावा में उपार्जित अवकाश का उपभोग किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 6784/IV - 3548/Admin (A - II) Allahabad Dated 06.05.2014 के माध्यम से मेरे द्वारा उपभोग किये गये उक्त उपार्जित अवकाश को दिनांक 23.08.2011 से 09.09.2011 तथा दिनांक 10.09.2011 एवं 11.09.2011 सफिक्स करते हुए स्वीकृति की सूचना जनपद न्यायालय पीलीभीत को प्रेषित की गयी। जनपद न्यायालय पीलीभीत द्वारा इस अवधि के स्वीकृत उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं हुआ था।

मेरे द्वारा जनपद न्यायालय पीलीभीत से फर्रुखाबाद में स्थानान्तरण दिनांक 17.04.2015 को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 17.09.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.08.2011 से 09.09.2011 अवधि के स्वीकृत उपार्जित अवकाश के वेतन आहरण करायें जाने की याचना की गई। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत पार्थनापत्र पर आदेश दिनांक 03.10.2015 के द्वारा अभुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये मुझे आदेशित किया गया। जनपद न्यायालय इटावा के पत्र क्रमांक 566 दिनांकित 16.03.15 के माध्यम से इस अधिष्ठान को मेरे द्वारा अभुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया। जनपद न्यायालय इटावा से अभुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 26.03.2016 से स्वीकृत अवकाश अवधि के वेतन को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश फर्रुखाबाद द्वारा आहरण कराये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिये गये। जनपद न्यायालय इटावा द्वारा निर्गत वेतन आहरण का स्व- प्रमाणित

2072

12/12/2015  
S.O. Admt  
23/12/16  
DR

S.O. Admt  
23/12/16  
DR

Pranti  
11/11/17  
AR

44

DR (M)

Reg B

21 DEC 2016

Request

Request-19

दिवरण पत्र दिनांकित 24.05.16 माननीय जिला जज कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने पर इस अधिष्ठान द्वारा दिनांक 23.08.2011 से 11.09.2011 अवधि का देयक क्रमांक 113 दिनांकित धनराशि रुपया 28,268/- को पारण हेतु कोषागार प्रेषित किया गया। कोषागार फतेहगढ द्वारा देयक पर आपत्ति व्यक्त की गई कि स्वीकृत आदेश के अनुसार देयक कालातीत हो रहा है कृपया पूर्व सम्प्रेषण हेतु प्रेषित करें। कोषागार द्वारा व्यक्त आपत्ति के परिणाम स्वरुप देयक की धनराशि रुपया 28,268/- का मुझे अभी तक भुगतान नहीं हो सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे उपरोक्त अवकाश वेतन देयक की धनराशि मु. 28,268/- रुपये के कालातीत देयक को प्री-आडिट करने की कृपा करें।

ससम्मान।

संलग्नक:-

मूल अवकाश वेतन देयक  
कुल 04 वर्क मु. 28,268/-

भवदीय

*(Signature)* 14/12/16

अतीक उद्दीन

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी  
फर्रुखाबाद।

दयालय बनप न्यायालय  
क्रमांक-296/IX दिनांक-14.12.16  
सचिव  
14-12-2016  
दयालय न्यायालय  
फर्रुखाबाद